

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ-4(ई) एपीओ/अलेसे-III / 151

दिनांक- 14-3-19

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिकों की आदेशों की प्रतीक्षा अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(8) (बी) (III) के अन्तर्गत नियमित करते हुए वेतन आहरण की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	लिनक न०	नाम (सर्वश्री)/पदनाम	अवधि		विभाग / कार्यालय जहां से वेतन भुगतान किया जाना है।
1	2	3	कब से	कब तक	6
1.	2562	रवीन्द्र नाथ पारीक सहायक लेखाधिकारी -द्वितीय	24.08.2018	30.09.2018	संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय -I, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर
2	9305	सुरेश चन्द मीणा सहायक लेखाधिकारी- द्वितीय	12.09.2018	27.09.2018	उपकोषाधिकारी, कोष एवं लेखा, लालसोट (दौसा)

यह स्वीकृति वित्त विभाग के पत्र प-2(25)वित्त/राजस्व/ 2010/लूज जयपुर दिनांक 6.3.2019 द्वारा अनुमोदित है।

(मुकुन्द सोहोनी)

निदेशक

क्रमांक: एफ-4(ई) एपीओ/अलेसे-III / 151

दिनांक- 14-3-19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि संबंधित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करावें।
3. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर अनुरोध है कि सम्बन्धित कार्मिक का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका उनके सामने कॉलम संख्या 6 में अंकित विभाग / कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
4. सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी-प्रथम / द्वितीय / कनिष्ठ लेखाकार
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
6. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. रक्षित निजी पत्रावली

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-III)